whatever allegations have been made against you regarding somebody's murder, you are clear, you have not done it.... You had very good relations with him. You are sorry for whatever happened. That's all about it...(*Interruptions*)... And, your name should not have been refered to.

श्री मुलायम सिंह यादवः मैडम, आप से सहमत हूं। अब क्योंकि यह उस समय सरकार में थे, इसलिए मैं जिक्र करना चाहता था। आप कहेंगी तो नहीं करेंगे वरना चाहते थे कि इन के जमाने में दो सौ दंगे हुए और अभी एक भी दंगा नहीं हुआ। मैडम, अब मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं ...(**व्यवधान**)... माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी के छोटे भाई श्री सुरेन्द्रदत्त द्विवेदी हैं। उन के तीन पत्र हैं और यह एक पत्र जो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से लिखा है, मैं अपने स्पष्टीकरण में उसी को पढ़े दे रहा हूं... (**व्यवधान**)... अब आप को आपत्ति है, अभी नहीं सुनना चाहते ...(**व्यवधान**)...

"आदरणीय, मुलायम सिंह यादव जी, मेरे अग्रज स्वर्गीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी, भूतपूर्व ऊर्जा एवं राजस्व मंत्री की जघन्य हत्या पर परिवार में आकर जो मेरे परिवारजनों को ढाढ़स बंधाया, उस के लिए आभारी हूं। आशा करता हूं कि आड़े वक्त में आप हम लोगों की चिंता रखेंगे और भविष्य में भी इसी प्रकार स्नेह बनाए रखेंगे। साथ ही आप से यह भी आग्रह है कि आप राजनीतिज्ञों द्वारा बयानबाजी से विरत रहते हुए हम लोगों का हमेशा ध्यान रखेंगे।"

मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। उन के छोटे भाई हैं वह मुझ से यह कहते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी का लेटर-पैड है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the matter is closed.

RE: NEED FOR ALLOCATION OF RS. 200 CRORES TO NATIONAL DISABLED FINANCE DEVELOPMENT CORPORATION

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): मैडम, मैं सदन के सामने आप के मार्फत विकलांगों की समस्या पर आप का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज फिर से विकलांगों के प्रतिनिधि समाज कल्याण मंत्रालय के सामने धरने पर बैठे हैं। उन की यह मांग है कि कानून बन जाने के बाद भी उस में निहित व्यवस्थाओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह लोग पहले 3/12/96 को भी जब कि "इंटरनेशनल डे ऑफ डिसएबल्ड" था, उस दिन मंत्रालय पर गए थे और मांग-पत्र दिया था।

मैडम, यह खुशी की बात है कि उन के बारे में एक कानून बन गया और 7 फरवरी, 96 को अधिनियम अधिसूचित भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक उस बारे में कदम नहीं उठाए गए हैं। आज भी देश में 5 करोड़ व्यक्ति विकलांगता से ग्रस्त हैं। मैडम, 400 करोड़ की पूंजीवाले राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास की स्थापना की घोषणा हुई थी और उस में 200 रुपया सरकार की तरफ से सहयोग प्राप्त होने वाला था। अभी पिछले दिनों एक करोड़ रुपए की पूंजी से उस का पंजीकरण हुआ है। अब एक करोड़ की पूंजी से किया क्या इस वित्त निगम का पंजीकरण विकलांगों को सहयोग नहीं दे सकता। वर्ष 1997-98 के बजट में केवल 28 करोड़ रुपया रखा गया है जबकि मांग सौ करोड़ रुपए की थी। मैडम, केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। उस में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 सदस्य विकलांगों के प्रतिनिधि के रूप में उस में जाएंगे। लेकिन जो नाम दिए गए हैं, उस में केवल एक व्यक्ति ही विकलांगों का सही प्रतिनिधि है। मुझे ताज्जुब है कि इन विकलांगों के प्रतिनिधियों में सांसद का नाम भी रखा गया है। अब मैं नहीं जानता कि वह सांसद विकलांग हैं और किस तरीके से उन का नाम इस में आया है। ईमानदारी से इस समिति में संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व अलग है। तो इन पांच लोगों को, जो विकलांगों के प्रतिनिधि होने चाहिए थे निजी संस्थाओं के, उनमें एक सांसद को रखना, यह मैं उचित नहीं मानता।

उपसभापतिः वह विकलांग तो नहीं हैं? ...(**व्यवधान**)... वह विकलांग है क्या सांसद, मेण्टली या फिजिकली?

श्री सुन्दर सिंह भंडारीः वह विकलांग नहीं हैं, यह मेरी जानकारी है। चूंकि वह दूसरे सदन के सदस्य हैं, इसलिए मैं यहां उनका नाम लेना नहीं चाहता।

महोदया, रेलवे के लिए भी यह मांग थी कि रेल के डिब्बों में ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि जो व्हील चेयर से यात्री जाते हैं वह वहां बोर्ड कर सकें और स्टेशनों पर उनके लिए वहां विश्राम स्थल है उनमें भी उनके बाथरूम की अलग व्यवस्था हो। अफसोस है कि इस रेल बजट में उसके लिए कोई मांग नहीं की गई है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि वित्त निगम में 200 करोड़ रुपया सरकार लगाए और इस

वर्ष के बजट में सौ करोड़ रुपया इनकी सहायता के लिए दे। मुझे विश्वास है कि इस मांग पर यह सारा सदन और सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी। धन्यवाद।... (व्यवधान)

उपसभापति: इसमें कोई दो राय नहीं होगी। सब इसमें... (**व्यवधान**)...

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात): मैडम, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि लास्ट ईयर कांग्रेस ने रेलवे मिनिस्ट्री में फिजिकली और मेण्टली हैंडीकेप्ड को स्पेशल सुविधा रिजर्वेशन में देने का एनाउन्स किया था। इसका भी अभी तक म्पिलीमेंटेशन नहीं हुआ है। मैं चाहूंगी कि यह कोटा रिलीज किया जाए। यही मैं आपके माध्यम से रेलवे मिनिस्टर से अनुरोध करती हूं।

उपसभापति: जब आप रेलवे मिनिस्टरी पर बोलेंगी तब आप जरूर यह बात कहिए।

श्री एस०एस० अहलुवालिया (बिहार): उपसभापति महोदया, भंडारी साहब ने जो मुद्दा यहां उठाया है विकलांगों के बारे में , मैं इस पर उनसे पूरी तरह से सहमत हूं और इनका समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि विकलांगों के बारे में जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसका सही मोनेटरिंग नहीं हो रहा है। वहां ऐसे लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए नहीं हैं।

महोदया, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास विकलांग लोग आते हैं, जो कहते हैं कि हम जब आफीसर के पास जाते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो वहां वेलफेयर डिपार्टमेंट के आफीसर कहते हैं कि क्या सुबह चले आते हो, तुम्हारी यह सूरत या तुम्हारे यह लूले लंगड़े को देखकर हमारा दिन भर खराब हो जाता है। इस तरह की अश्लील बातें उनके साथ की जाती हैं। यहां तक कि पीएच०डी०, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े हुए विकलांग लड़के जब नौकरी के लिए उनके पास जाते हैं तो उनके साथ ऐसी अश्लील बातें की जाती हैं। इन पर अंकुश तभी लग सकता है, जब वहां विकलांगों की समस्याओं को समझने वाले हों, उनके साथ जुड़े हों, प्रभावित हों। ऐसे लोगों को उस कमेटी में रखकर उनसे मदद दिलाई जाए और जैसा कहा गया, इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसके साथ ही, महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि हर जगह सुलभ शोचालय और दूसरे शौचालय बने हुए हैं, लेकिन वहां कोई विकलांग के लिए सीट नहीं है। कैरो वह वहां उसका उपयोग कर सकते हैं? इस पर कभी किसी ने चिंता नहीं की। तो पब्लिक लैटरीन या पब्लिक लेबेटरी में भी उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, Parliament had passed many laws for the handicapped, but none of these laws are being implemented in reality. Even the PCOs. are not given to these people. These are cornered by the Staff of the Communications Ministry. Therefore, I think it is proper for the Government to appoint an inquiry commission. In the absence of that, there should be a House Committee appointed to go into all these problems because these laws are passed by us. Then why should the Government come forward with these laws? *(Interruptions)*

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Madam, the first recommendation I made in 1994, as an MP, was in favour of the Viklang Sansthan in Jaipur. *(Interruptions)*. It has not been sanctioned for the last three years because they say that some organisation is running it; it is funded by the Central Government. Therefore, I suggest that the guidelines should be amended so as to make available our funds for the handicapped.

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, मैं रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विकलांगों की समस्या के संबंध में। मंत्री जी, इधर देख लीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैडम, अभी पिछले दिनों मुझसे लखनऊ में बांगलादेश वार के समय जो विकलांग हुए थे, ऐसे कुछ सैनिक मिले थे। उन सैनिकों की शिकायत यह थी कि पिछले सात/आठ वर्षों से वे लगातार रक्षा मंत्रालय में अपना आवेदन लेकर जाते हैं। ...(**व्यवधान**)... रक्षा मंत्री जी सुन ही नहीं रहे हैं तो फिर कैसे यह बात रखी जाए।

उपसभापति: रक्षा मंत्री जी, यह विकलांगों का मामला है।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': रक्षा मंत्री जी, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि बंगला देश लड़ाई के समय विकलांग हुए कुछ सैनिक अभी पिछले दिनों मुझे लखनऊ में मिले थे और उनका कहना है कि पिछले 8—10 वर्षों से लगातार रक्षा

मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय में जाकर वे अपनी दस्तक देते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके साथ बड़ा अन्याय होता है। उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया है और एक ज्ञापन तो उन्होंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी के द्वारा हस्ताक्षरित कराकर भी भेजा है, परन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यदि आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो वे आपको बड़ी दुआएं देंगे और फिर इससे आपके कर्त्तव्य का पालन भी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाए।

उपसभापतिः रक्षा मंत्री जी, इसमें दो चीजें हैं। मैं इस बारे में सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगी कि एक तो वे विकलांग हैं जो लड़ाई में, एक्शन में, टेरेरिस्ट्स के साथ एक्शन में विकलांग बन गए हैं, जो जन्म से विकलांग नहीं थे और कुछ ऐसे विकलांग हैं जो जन्म से विकलांग हैं—सुन नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, स्पेस्टिक चिल्ड्रन हैं, मेंट्ली, फिज़िकली हेंडीकेप्ड हैं। इस सिलसिले में पार्लियामेंट से हम लोगों ने एक बिल पास किया। सरकार ने उस पर बहुत ध्यान दिया, मंत्री जी बहुत अच्छा बोले, मगर आगे उस पर कुछ हुआ नहीं है। अब यह सब जो हमारे माननीय सदस्य ने उठाया है, भंडारी जी ने, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमेटी है उसमें सिर्फ विकलांगों के रिप्रजेंटेटिव्स, जो उनकी कमेटियों में हैं, जो उनको चलाते हैं, वही नहीं बल्कि उनके जो मां-बाप हैं, उनके भी रिप्रज़ेंटेटिव्स उसमें लेने चाहिए क्योंकि उनको बड़ी समस्या होती है, उनको बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ता है विकलांग बच्चों को संभालने के लिए और उनके फ्यूचर के लिए। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो उनके मां-बाप से ताल्लुक रखती हैं। जो विकलांगों के मां-बाप हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी समस्याओं को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूं कि यहां जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आप यह बात सरकार को बतलाएं, रक्षा मंत्री जी अपना देखेंगे और यह सोशियल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यह बड़ी भारी समस्या है, आज हजारों विकलांग यहां आए हैं। उनकी आवाज़ को अगर हाउस में हम लोग नहीं बोलेंगे, जो फॉरच्युनेट हैं, जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, तो फिर दूसरा कौन बोलेगा? वे तो बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): I will convey, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, please convey and become the voice, ears and eyes of those who are unfortunate.

DR. U. VENKATESWARLU: I will convey, Madam.

RE. REPORTED STATEMENT BY SHRI AJATSHATRU SINGH FOR REFERENDUM ON P.O.K.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभापति महोदया, मैं इस सदन का ध्यान जम्मू-कश्मीर सरकार के एक मंत्री, श्री अजातशत्रु सिंह ने पिछले दिनों जो एक वक्तव्य दिया है और जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में रिफ्रेंडम कराकर जो सीमा-रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा-रेखा बना दिया जाएगा और जो पाकिस्तान आकूपाइड कश्मीर है, उसका भाग पाकिस्तान के पास रह जाए, उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इस गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सैशन से हुआ था। इस इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सैशन, जिसमें कि महाराजा हरि सिंह ने, उनके दादा ने हस्ताक्षर किए थे, उसमें यह बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि:—

> "The terms of this my Instrument of Accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act, 1947."

Section 3, Part II of the Constitution of Jammu & Kashmir says:

> "The State of Jammu & Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India."

Section 4 says:

> "The territory of the State shall "—the world used here is "shall" —"comprise all the territories which, on the 15th day of August, 1947 were under the sovereignty or suzerainty of the Ruler of the State."

Further, section 147 says:

> "No Bill or amendment seeking to make any change in the provisions of section 3 shall be introduced or